बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या-5/आ02-1015/2017- 319 पटना, दिनांक- 2.5.17

पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना का पत्रांक-एस0आर0- 023/2017 निग0-923/अप0शा0 दिनांक-20.04.2017 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री सुजीत कुमार, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सासाराम के विरूद्ध रिश्वत मांगे जाने का साक्ष्य पाया गया है. साथ ही श्री कुमार के विरूद्ध निगरानी थाना काण्ड संख्या-023/2017 दिनांक-07.04.2017, धारा 7/8/13(2) सह-पठित धारा 13(1)(डी) भ0नि0अधि0, 1958 के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज की गयी है।

उपरोक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में पूरे मामले की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री कुमार का यह आचरण एवं कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम-3(1)(i) तथा नियम-3(1)(ii) एवं नियम 3(1)(iii) में विहित प्रावधान के विपरीत है इन प्रावधानों के उल्लंघन के लिए श्री कुमार दोषी है एवं लोकहित में श्री कुमार को निलंबित किया जाना समीचीन प्रतीत होता है।

अत: श्री सुजीत कुमार, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सासाराम को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-9(1)(ग) के तहत लोकहित में आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित किया जाता है।

(2) निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय मुख्य अभियंता का कार्यालय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पटना प्रक्षेत्र, पटना रहेगा।

(3) निलंबन के दौरान श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम-10(1) के अन्तर्गत अनुमान्य जीवन-निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-5/आ02-1015/2017- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, पटना/सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-5/आ02-1015/2017- 320 पटना, दिनांक- 2.5.17

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव/सभी मुख्य अभियंता (क्षेत्रीय सहित)/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता/मुख्यालय के सभी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी-1/आई0टी0 मैनेजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना तथा श्री सुजीत कुमार, कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, सासाराम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/5/17

(राजेन्द्र प्रसाद सिंह)

सरकार के विशेष सचिव

Rakesh ji sankalp